

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

ग्रामीण समस्या सुधार विभाग, सिरोही-2025

राजस्व ग्राम <u>सांगाना</u> पंचायत <u>खड़ात</u> मू०अ०नि०वृत्त <u>आबूरोड</u> तहसील- <u>आबूरोड</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	दि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	45	439 440 441 वर्ग २६		1. कैसा पुत्र भुना हि. 1/16 जाति- गरासिया सा. देह खातेदार शक्ति हि. 1/16 (पूर्व खाता) राजस्थान मरुभूत ग्रामीण बैंड शाखा किवल्ली शेष खाता बरकपुर जमाबंदी	1. कैसा पुत्र भुना हि. 1/16 जाति- गरासिया सा. देह खातेदार शक्ति हि. 1/16 (पूर्व खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंड शाखा किवल्ली शेष खाता बरकपुर जमाबंदी	
		किता 14 कुल रकबा	3.6165 है.			

मुताबिक मिसल/जमाबंदी संवत् 2075-2078 (2019) से रूपामी के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया खाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० मू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूरोड के सम्मक्ष श्रयण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

प०हल्का खड़ात मू०अ०नि० आबूरोड की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण पन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूरोड को सादर प्रेषित है।

प०हल्का खड़ात मू०अ०नि० आबूरोड राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। हाल जमाबंदी में अमल किया जावे।

Bhanu
पटवारी (मू०अ०नि०)
पटवार मण्डल खड़ात
पंचायत
तहसील-आबूरोड (सिरोही)

दिनांक 24/12/25

24/12/25
ह० मू०अ०नि०
आबूरोड

24/12/25
तहसील-आबूरोड
जिला-सिरोही

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड
ह० उपखण्ड अधिकारी

दिनांक